


23-01-15 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी कंपनी  
उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र अदम  
चैकी-अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खोजि किया  
जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर शामिल  
करतर है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले अदालत में  
सुनाया गया।

  
(दीपक चन्दन)  
RAS